



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियम आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 मई, 2016
ज्येष्ठ 6, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1

संख्या 696/एक-1-2016-20(8)-2016
लखनऊ, 27 मई, 2016

अधिसूचना

प0आ0-295

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 5 और 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

नियम 5 एवं
6 का
संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

5-उक्त सूचना-

- (क) सरकारी गजट में;
- (ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी भाषा में होगा, में प्रकाशित की जायेगी; और
- (ग) परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5-उक्त सूचना-

- (क) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी भाषा में होगा, में प्रकाशित की जायेगी; और
- (ख) परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

6-(1) इस अध्याय के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों पर विचारण निम्नलिखित सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा :-

- (क) अध्यक्ष, राजस्व परिषद (अध्यक्ष)
- (ख) प्रमुख सचिव, न्याय (सदस्य)
- (ग) प्रमुख सचिव, राजस्व (सदस्य)
- (घ) प्रमुख सचिव, गृह (सदस्य)
- (ङ) प्रमुख सचिव, वित्त (सदस्य)
- (च) सचिव, राजस्व परिषद (सदस्य सचिव)

(2) समिति आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को आख्या प्रेषित करेगी, और वह समिति द्वारा प्रेषित आख्या और जनता से आयी आपत्तियों, यदि कोई हो, पर भी विचार करने के बाद, समुचित विनिश्चय करेगी।

आर0सी0
प्रपत्र-1 का
संशोधन

3-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये आर0सी0 प्रपत्र-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1**विद्यमान प्रपत्र**

आर0सी0 प्रपत्र-1

(देखें नियम 4)

अधिसूचना संख्या दिनांक.....

सार्वजनिक नोटिस

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 (2) के अनुसरण में, एतद्वारा यह नोटिस दी जाती है कि राज्य सरकार ने निम्न राजस्व क्षेत्रों के सीमाओं को एकीकरण/पुनर्सामंजस्य द्वारा/विभाजन द्वारा/विलोपन द्वारा/विनिर्माण द्वारा/नाम में प्रत्यावर्तन/किसी अन्य रीति द्वारा परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है-

1-राजस्व क्षेत्र का विवरण

2-प्रत्यावर्तन का विवरण

इस नोटिस को उ० प्र० गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 45 दिनों के पश्चात् इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

6-(1) इस अध्याय के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों पर विचारण निम्नलिखित सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा:-

- (क) अध्यक्ष, राजस्व परिषद- अध्यक्ष
- (ख) मण्डलायुक्त, लखनऊ- सदस्य
- (ग) उस मण्डल का आयुक्त जिसमें राजस्व क्षेत्र प्रभावित हो रहा हो- सदस्य
- (घ) सचिव, राजस्व परिषद- सदस्य सचिव

(2) समिति आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, राजस्व परिषद को आख्या प्रेषित करेगी, जो समिति द्वारा प्रेषित आख्या और जनता से आयी आपत्तियों, यदि कोई हो, पर भी विचार करने के बाद, समुचित विनिश्चय हेतु अपनी टिप्पणियों के साथ आख्या राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। राज्य सरकार परिषद द्वारा प्रेषित आख्या पर विनिश्चय करेगी।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र**

आर0सी0 प्रपत्र-1

(देखें नियम 4)

अधिसूचना संख्या दिनांक.....

सार्वजनिक नोटिस

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 (2) के अनुसरण में, एतद्वारा यह नोटिस दी जाती है कि कलेक्टर/मण्डलायुक्त..... (जिला का नाम/कमिश्नरी) ने निम्न राजस्व क्षेत्रों की सीमाओं को समामेलन/पुनर्सामंजस्य/विभाजन/विलोपन/विनिर्माण/नाम में प्रत्यावर्तन/किसी अन्य रीति द्वारा परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव किया है-

1-राजस्व क्षेत्र का विवरण

2-प्रत्यावर्तन का विवरण

* उपर्युक्त प्रस्ताव पर ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों के पश्चात् विचार किया जायेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

आर०सी० प्रपत्र-1

(देखें नियम 4)

इस सन्दर्भ में कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ० प्र० सरकार, लखनऊ को उक्त समय की समाप्ति के पूर्व प्रेषित किया जा सकता है।

सचिव,
उ० प्र० शासन।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

आर०सी० प्रपत्र-1

(देखें नियम 4)

इस सन्दर्भ में कोई भी आपत्ति लिखित रूप में सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रेषित की जा सकती है।

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 696/I-1-2016-20(8)-2016, dated May 27, 2016 :

No. 696/I-1-2016-20(8)-2016

Dated Lucknow, May 27, 2016

IN exercise of the powers under section 233 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (FIRST AMENDMENT)

RULES, 2016

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Revenue Code (First Amendment) Rules, 2016. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016 hereinafter referred to as the said rules for rules 5 and 6 set out in Column-1 below the rules as set out in Column-2 shall be substituted, namely:- Amendment of rules 5 and 6

COLUMN-1

Existing rule

5. The above notice shall be published-

- (a) in the official Gazette;
- (b) in two daily newspapers of wide circulation in locality of such area of which one shall be in the Hindi language; and
- (c) shall be uploaded on the website of the Board.

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

5. The above notice shall be published-

- (a) in two daily newspapers of wide circulation in locality of such area of which one shall be in the Hindi language; and
- (b) shall be uploaded on the website of the Board.

COLUMN-1**Existing rule**

6. (1) The objections received under this Chapter shall be considered by a Committee consisting of the following members:-

(a) Chairman, Board of Revenue
(Chairman)

(b) Principal Secretary, Law (Member)

(c) Principal Secretary, Revenue
(Member)

(d) Principal Secretary, Home (Member)

(e) Principal Secretary, Finance
(Member)

(f) Secretary, Board of Revenue
(Member-Secretary)

(2) The Committee shall submit the report after considering the objections, if any, to the State Government which shall take the appropriate decision after considering the report submitted by the Committee and also the objections, if any, from the public.

Amendment
of R.C.
Form-1

3. In the said rules for R.C. Form-1 set out in Column-1 below the Form as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1**Existing Form**

R.C. FORM-1

(See rule 4)

Notification no. Date.....

Public Notice

In pursuance of the provisions of section 6 (2) of Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), notice is hereby given that the State Government proposes to alter the limits of the following revenue area by amalgamation/re-adjustment/division/abolition/creation/alteration in the name/in any other manner-

(1) Details of the revenue area.....

(2) Particulars of the alteration

The above proposal shall be taken up for consideration after the expiry of 45 days from the date of publication of this notice in U.P. Gazette.

COLUMN-2**Rule as hereby substituted**

6. (1) The objections received under this Chapter shall be considered by a Committee consisting of the following members:-

(a) Chairman, Board of Revenue
(Chairman)

(b) Commissioner, Lucknow Division
(Member)

(c) The Commissioner of the Division in which the revenue area is being affected-
(Member)

(d) Secretary, Board of Revenue
(Member-Secretary)

(2) The Committee shall, after considering the objections, if any, submit the report to the Board of Revenue which shall, after considering the report submitted by the Committee and the objections, if any, from the public, submit the report along with its comments to the State Government for the appropriate decision. The State Government shall take the decision on the report submitted by the Board.

COLUMN-2**Form as hereby substituted**

R.C. FORM-1

(See rule 4)

Notification no. Date.....

Public Notice

In pursuance of the provisions of section 6 (2) of Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), notice is hereby given that the Collector/Commissioner..... (Name of District/Commissionary) proposes to alter the limits of the following revenue area by amalgamation/re-adjustment/division/abolition/creation/alteration in the name/in any other manner-

(1) Details of the revenue area.....

(2) Particulars of the alteration

The above proposal shall be taken up for consideration after the expiry of 15 days from the date of publication of this notice in two daily newspapers of wide circulation in locality of such area.

COLUMN-1

Existing Form

R.C. FORM-1

(See rule 4)

Any objection or suggestion in respect thereof may be submitted in writing to the Principal Secretary, Department of Revenue, Government of Uttar Pradesh, Lucknow before the expiry of the said period.

Secretary
to the Government of U.P.

COLUMN-2

Form as hereby substituted

R.C. FORM-1

(See rule 4)

Any objection in respect thereof may be submitted in writing to the Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh, Lucknow before the expiry of the said period.

Commissioner and Secretary
to the Board of Revenue.

By order,
SURESH CHANDRA,
Pramukh Sachiv.



पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 121 राजपत्र (हि०)-2016-(282)-599 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० राजस्व-2016-(283)-1000 प्रतियां (क०/टी०/आ०)। •

अध्याय-दो

राजस्व मण्डल

5 राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन-इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो मंडलों में विभक्त होगा जिसमें दो या अधिक जिले हो सकेंगे और प्रत्येक जिला में दो या अधिक तहसीलें हो सकेंगी और प्रत्येक तहसील में एक या अधिक परगना हो सकेंगे और प्रत्येक परगना में दो या इससे अधिक गांव हो सकेंगे।

6 राजस्व क्षेत्रों का गठन-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट कर सकती है :

(एक) उन जिलों को जिनसे मिलकर कोई मण्डल बनता हो;

(दो) उन तहसीलों को जिनसे मिलकर कोई जिला बनता हो;

(तीन) उन गांवों को जिनसे मिलकर कोई तहसील बनती हो।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को समामेलित, पुनःसमायोजित, विभाजित करके या किसी अन्य रीति से, वह चाहे जो भी हो, परिवर्तित कर सकती है या किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र को समाप्त कर सकती है और किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र का नामकरण कर सकती है और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है और यदि जहाँ किसी क्षेत्र का पुनः नामकरण कर दिया जाए, तो वहाँ उक्त क्षेत्र के किसी विधि या लिखत या अन्य दस्तावेज में उसके मौलिक नाम से किए गए निर्देशों को, जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया जाए, पुनः नामकरण किए गए क्षेत्र का निर्देश समझा जाएगा :

परन्तु किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करने के किसी प्रस्ताव पर इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व राज्य सरकार आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए ऐसे प्रस्तावों को विहित रूप से प्रकाशित करेगी और ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों पर विचार करेगी।

(3) कलेक्टर विहित रूप में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा तहसील के गांवों को लेखपाल हलकों में और लेखपाल हलकों को राजस्व निरीक्षक हलकों में व्यवस्थित करेगा और प्रत्येक राजस्व निरीक्षक के मुख्यालय को भी उसके हल्के के भीतर विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) इस संहिता के प्रारम्भ होने के समय यथा विद्यमान मण्डल, जिले, तहसील, परगने, राजस्व निरीक्षक हलके, लेखपाल हलके और गांव, जब तक कि पूर्ववर्ती उपखण्डों में उनमें कोई परिवर्तन न कर दिया जाए, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट राजस्व क्षेत्र समझे जायेंगे।

अध्याय-दो

राजस्व मण्डल

राजस्व क्षेत्रों की सीमाओं
में परिवर्तन

[धारा 6(2)]

सार्वजनिक सूचना का
प्रारूप

[धारा 6(2)]

सूचना का प्रकाशन

[धारा 6(2)]

समिति द्वारा आपत्ति का
विचारण [धारा 6(2)]

परिक्षेत्रों का प्रबन्ध

[धारा 6(3)]

3. धारा 6(2) के अन्तर्गत, किसी नये क्षेत्र के सृजन या समापन को सम्मिलित करते हुए राजस्व क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन का प्रत्येक प्रस्ताव प्रशासनिक दक्षता और जनहित पर आधारित होना चाहिए।
4. राजस्व क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन का प्रत्येक प्रस्ताव आर0सी0 फार्म-1 में प्रकाशित किया जायेगा।
5. उक्त सूचना -
(क) सरकारी गजट में ;
(ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी भाषा में होगा, में प्रकाशित की जायेगी ;
और
(ग) परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।
6. (1) इस अध्याय के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों पर विचारण निम्नलिखित सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा :
(क) अध्यक्ष, राजस्व परिषद (अध्यक्ष)
(ख) प्रमुख सचिव, न्याय (सदस्य)
(ग) प्रमुख सचिव, राजस्व (सदस्य)
(घ) प्रमुख सचिव, गृह (सदस्य)
(ङ) प्रमुख सचिव, वित्त (सदस्य)
(च) सचिव, राजस्व परिषद (सदस्य सचिव)
(2) समिति आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार को आख्या प्रेषित करेगी, और वह समिति द्वारा प्रेषित आख्या और जनता से आयी आपत्तियों, यदि कोई हो, पर भी विचार करने के बाद, समुचित विनिश्चय करेगी।
7. धारा 6(3) के अन्तर्गत पारित कलेक्टर का प्रत्येक आदेश पर्याप्त प्रसार वाले कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा और कलेक्ट्रेट व तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जायेगा।



आर०सी० प्रपत्र-1

(देखें नियम-4)

अधिसूचना संख्या:.....दिनांक :.....

सार्वजनिक नोटिस

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6(2) के अनुसरण में, एतद्वारा यह नोटिस दी जाती है कि राज्य सरकार ने निम्न राजस्व क्षेत्रों के सीमाओं को एकीकरण/पुनर्सामंजस्य द्वारा/विभाजन द्वारा/विलोपन द्वारा/ विनिर्माण द्वारा/नाम में प्रत्यावर्तन/किसी अन्य रीति द्वारा परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

1. राजस्व क्षेत्र का विवरण :.....

2. प्रत्यावर्तन का विवरण :.....

इस नोटिस को उ०प्र० गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 45 दिनों के पश्चात इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

इस सन्दर्भ में कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव लिखित रूप में प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, उ०प्र० सरकार, लखनऊ को उक्त समय की समाप्ति के पूर्व प्रेषित किया जा सकता है।

सचिव

उ०प्र० शासन